

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) व तत्अधीन बने राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 9(3) के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट से आदेश जारी कराने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप (पाई पेपर पर नोटरी से सत्यापित करावें)

(एक वर्ष बाद मृत्यु की सूचना देने पर)

शपथ पत्र (मृत्यु)

शपथ
ग्रहता / ग्रहिता
की हस्ताक्षरयुक्त
नोटरी प्रमाणित
पासपोर्ट साईज
फोटो

मैं(आवेदक का नाम).....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....
वर्तमान आयु.....वर्ष निवासी (वर्तमान पूर्ण पता).....(मृतक से सम्बन्ध
लिखें).....शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि:-

1. यह कि मृतक का नाम.....मृतक का लिंग.....मृत्यु तिथि.....मृतक के
स्थान का पूर्ण पता.....मृत्यु स्थान का वार्ड नं.....मृतक की
माता का नाम.....(मृतक के पिता / पत्नी का नाम)
.....मृतक का मृत्यु के समय का पता.....मृतक का स्थाई
पताकी मृत्युशहर / गाँव में हो
गई है।
2. यह कि मृतक व मृतक के माता व पिता एवं मेरे नाम व पते के दस्तावेज संलग्न कर रहा / रही हूँ।
3. यह कि शपथ पत्र पर मेरी वर्तमान फोटो चस्पा कर दी गई है।
4. यह कि उक्त मृत्यु का पंजीयन आज दिनांक.....से पहले किसी के भी द्वारा एवं मैंने कहीं भी
किसी भी रजिस्ट्रार / उपरजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं करवाया है और मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है ना
ही भविष्य में कहीं दर्ज करवाऊँगा / करवाऊँगी।

अंगूठा निशान / हस्ताक्षर शपथ ग्रहता / ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त.....शपथ ग्रहता / ग्रहिता सत्यापित करता / करती हूँ कि
शपथ पत्र में अंकित सभी तथ्य सही व सत्य हैं। मेरे द्वारा दिये गये शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं
है। अगर भविष्य में असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा / रहूँगी। ईश्वर साक्षी है।

अंगूठा निशान / हस्ताक्षर शपथ ग्रहता / ग्रहिता

आदेश पत्र

उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के विवरण एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित किया
जाता है कि उक्त हल्फनामा मे समक्ष लिया गया है। जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) एवं
राजस्थान जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 9(3) के अन्तर्गत घटना की शुद्धता का सत्यापन कर
स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु को यह आदेशित किया जाता है कि उक्त जन्म के विहित विलम्ब शुल्क रूपये 1/-
लेकर रजिस्ट्रार / उप रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज कर लिया जावें।

मेरे हस्ताक्षर व मोहर से आज दिनांक.....को जारी किया गया।

हस्ताक्षर कार्यपालक मजिस्ट्रेट मय मोहर

नगर निगम कोटा दक्षिण

प्रपत्र क्रमांक 10

(नियम 13 देखिए)

अप्राप्यता प्रमाण पत्र

(जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 17 अधीन जारी किया गया)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री के निवेदन
पर वर्ष (वर्षा)..... स्थानीय क्षेत्र
तहसील जिला.....
राज्य..... के रजिस्ट्रीकरण अभिलेख की तलाशी (ऑनलाइन) ली गई
और पाया गया कि पुत्र/पत्नी/पुत्री
.....के जन्म/मृत्यु संबंधी घटना रजिस्ट्रीकृत नहीं है।

दिनांक

रजिस्ट्रार
जन्म-मृत्यु पंजीयन
नगर निगम कोटा दक्षिण

मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु गवाह का शपथ-पत्र

मैं कि पुत्र/पत्नी श्री
आयु.....वर्ष निवासी का/की हूँ। जो
एतद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि शपथ पत्र में वर्णित सब बातें सत्य हैं,
कोई बात असत्य नहीं है सत्य बोलने में परमात्मा मेरी मदद करें -

2. कि मृतक का नाम पिता/पति
जाति निवासी
..... की मृत्यु
दिनांक को हुई है । मैं इनका पड़ोसी हूँ तथा इसके मृत्यु शोक में
सम्मिलित हुआ था, जिसका मैं साक्षी हूँ।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

मैं शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि उपरोक्त सारे चरणों मेरे स्वज्ञान से
सही एवं सत्य हैं । सत्य बोलने में परमात्मा मेरी मदद करें ।

स्थान : कोटा

हस्ताक्षर शपथकर्ता

मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु गवाह का शपथ-पत्र

मैं कि पुत्र/पत्नी श्री
आयु.....वर्ष निवासी का/की हूँ। जो
एतद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि शपथ पत्र में वर्णित सब बातें सत्य हैं,
कोई बात असत्य नहीं है सत्य बोलने में परमात्मा मेरी मदद करे -

2. कि मृतक का नाम पिता/पति
जाति निवासी
..... की मृत्यु
दिनांक को हुई है । मैं इनका पड़ोसी हूँ तथा इसके मृत्यु शोक में
सम्मिलित हुआ था, जिसका मैं साक्षी हूँ।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

मैं शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि उपरोक्त सारे चरणों मेरे स्वज्ञान से
सही एवं सत्य हैं । सत्य बोलने में परमात्मा मेरी मदद करे ।

स्थान : कोटा

हस्ताक्षर शपथकर्ता